बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संoसंo–लoसिंoमोo–(मोo)–CM-e-dash-06/2020- 1606 (मो0) /पटना, दिनांक– 21/8/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद।

विषयः–**औरंगाबाद जिलान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत् ग्राम–खरांटी, प्रखण्ड–ओबरा के मुख्य तालाब एवं नाला के अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**श्री राहुल रंजन से प्राप्त ई–मेल।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक ई–मेल के सन्दर्भ में **श्री राहुल रंजन, ग्राम–खराटी, प्रखण्ड+थाना–ओबरा, पंचायत–बभनडीहा, अनुमण्डल–दउदनगर, जिला–औरंगाबाद ने** सूचित किया है कि गांव के मुख्य नाला एवं सटे तालाब, जो कि खरांटी देवी मंदिर के उत्तर एवं पुरानी नेशनल हाईवे के समानान्तर से शरू होकर खरांटी की मुख्य नहर एवं आगे चलकर गिरा से होकर पुनपुन नदी में मिलती थी, जिसे गांव के कुछ दंबग लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है। साथ ही आवेदनकर्त्ता तालाब एवं नाले की मापी एवं अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। यदि योजना विभागीय हो तथा Criteria को पालन करता है तो अंचलाधिकारी से इसका सीमांकन एवं अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई के साथ जिला पदाधिकारी को जिला परामर्शदात् समिति से अनुशंसा हेतु भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

21/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1606 (मो0) /पटना, दिनांक– 21/8/2020

प्रतिलिपि–अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1606 (मो0) /पटना, दिनांक– 21/8/2020

प्रतिलिपि–श्री राहुल रंजन, ग्राम–खरांटी, प्रखण्ड–ओबरा, थाना–ओबरा, पंचायत–बभनडीहा, अनुमण्डल–दउदनगर, जिला–औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

21/8/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\AUG-20\E.E. AURANGABAD-J.J.H.A.-05-08-2020.DOCX

ail secmnir-bih@nic.in

जल जीवन हरियाली के तहत हमारे गांव के मुख्य तालाब एवं नाला को अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में।

From : ranjan rahul1095 <ranjan.rahul1095@gmail.com> Wed, Jul 01, 2020 07:14 AM

Subject : जल जीवन हरियाली के तहत हमारे गांव के मुख्य तालाब एवं नाला को अतिक्रमण मुक्त करने के सम्बन्ध में।

To : Nitish <cmbihar@nic.in>, Nitish <cmbihar-bih@nic.in>, Mr Saurabh Jorawal <dm-aurangabad.bih@nic.in>, Amrit Lal Meena <secmnir-bih@nic.in>

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

महाशय

सविनय निवेदन इस प्रकार का है कि मैं राहुल रंजन ग्राम खरांटी प्रखंड ओबरा थाना ओबरा पंचायत बभनडीहा अनुमंडल दाउदनगर जिला औरंगाबाद बिहार का निवासी हूं ।हमारे गांव के मुख्य नाला एवं सटे तालाब जो कि खरांटी देवी मंदिर के उत्तर एवं पुरानी नेशनल हाईवे के समानांतर से शुरू होकर खरांटी की मुख्य नहर एवं आगे चलकर गिरा से होकर पुनपुन नदी में मिलती थी उसे कुछ गांव के दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है। यह नाला एवं सटे तालाब का लंबाई एवं चौड़ाई लगभग 1000 फीट एवं 40 फीट अनुमानित है एवं इस क्षेत्रफल में हजारों क्यूबिक मीटर पानी का जमाव होता था जो भूजल स्तर को रिचार्ज करने में सहायक होता था। स्थिति इतनी भयावह की बरसात का सारा पानी, नाली का पानी गांव के मुख्य सड़कों पर जहां तक जमा रहता है जिससे वृहद स्तर पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है एवं भविष्य में डेंगू मलेरिया टाइफाइड भयंकर महामारी को आमंत्रित कर दिया है। यह सत्येंद्र पांडे के सामने जमीन से अतिक्रमण शुरू होकर अशोक शर्मा, राम एकबाल लोहार,देवदत्त सिंह, राज किशोर पांडे जैसे कई लोगों के पक्का निर्माण से हो गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है उपरोक्त तालाब एवं नाले कि मापी करा कर अतिक्रमण मुक्त कर इसे पुनर्जीवित करने की कृपा की जाए जिससे पर्यावरण एवं भूजल स्तर को पुनः स्थापित किया जा सके, साथ ही हजारों ग्रामीणों के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण का भी उचित न्याय मिल सके।

आपका आभारी
राहुल रंजन

Book complain

2929/AS
02/7/20

JSHS
02-07-2020

3148 (मो)
03-07-2020

Fwd: जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत ग्राम खरांटी प्रखंड ओबरा जिला औरंगाबाद के मुख्य तालाब एवं नाला के अतिक्रमण के संबंध में

From : ranjan rahul1095 <ranjan.rahul1095@gmail.com> Sun, Jun 28, 2020 03:24 PM

Subject : Fwd: जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत ग्राम खरांटी प्रखंड ओबरा जिला औरंगाबाद के मुख्य तालाब एवं नाला के अतिक्रमण के संबंध में

To : Amrit Lal Meena <secmnir-bih@nic.in>

लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना 30 JUN 2020

---------- Forwarded message ----------
From: **Nitish** <cmbihar-bih@nic.in>
Date: Monday, 15 June 2020
Subject: जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत ग्राम खरांटी प्रखंड ओबरा जिला औरंगाबाद के मुख्य तालाब एवं नाला के अतिक्रमण के संबंध में
To: panchayat <secy-panchayat-bih@nic.in>
Cc: ranjan.rahul1095@gmail.com

2849/AES 30/6/20

-------- Original Message --------
From: **Rahul Ranjan** <ranjan.rahul1095@gmail.com>
Date: Jun 15, 2020 3:52:34 PM
Subject: जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत ग्राम खरांटी प्रखंड ओबरा जिला औरंगाबाद के मुख्य तालाब एवं नाला के अतिक्रमण के संबंध में
To: cmbihar-bih@nic.in, cmbihar@nic.in, cs-bihar@nic.in, dm-aurangabad.bih@nic.in

JHS 30-06-20

महाशय

सविनय निवेदन इस प्रकार का है कि मैं राहुल रंजन ग्राम खरांटी प्रखंड ओबरा थाना ओबरा पंचायत बभनडीहा अनुमंडल दाउदनगर जिला औरंगाबाद बिहार का निवासी हूं ।हमारे गांव के मुख्य नाला एवं सटे तालाब जो कि खरांटी देवी मंदिर के उत्तर एवं पुरानी नेशनल हाईवे के समानांतर से शुरू होकर खरांटी की मुख्य नहर एवं आगे चलकर गिरा से होकर पुनपुन नदी में मिलती थी उसे कुछ गांव के दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है। यह नाला एवं सटे तालाब का लंबाई एवं चौड़ाई लगभग 1000 फीट एवं 40 फीट अनुमानित है एवं इस क्षेत्रफल में अनुमानित 5000 तक क्यूबिक मीटर पानी का जमाव होता था जो भूजल स्तर को रिचार्ज करने में सहायक होता था। स्थिति इतनी भयावह की बरसात का सारा पानी, नाली का पानी गांव के मुख्य सड़कों पर जहां तक जमा रहता है जिससे वृहद स्तर पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है एवं भविष्य में डेंगू मलेरिया टाइफाइड भयंकर महामारी को आमंत्रित कर दिया है। यह सत्येंद्र पांडे के सामने जमीन से अतिक्रमण शुरू होकर अशोक शर्मा, राम एकबाल लोहार,देवदत्त सिंह, राज किशोर पांडे कई लोगों के पक्का निर्माण से हो गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है उपरोक्त तालाब एवं नाले कि मापी करा कर अतिक्रमण मुक्त कर इसे पुनर्जीवित करने की कृपा की जाए जिससे पर्यावरण एवं भूजल स्तर को पुनः स्थापित किया जा सके, साथ ही हजारों ग्रामीणों के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण का भी उचित न्याय मिल सके।

आपका आभारी
राहुल रंजन

3095 (मो॰)
01-07-2020